न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।
प्रकीर्ण वाद संख्या–254 / 2024
कम्प्यूटर संख्या–216 / 2024
ओमकार बनाम निशांत एवं अन्य।

धारा–156(3) द0प्र0सं0।
थाना–रजपुरा, जिला सम्भल।

दिनांकः16.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 पर सुना तथा सम्यक रूप से परिशीलन किया।

आवेदक की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) द0प्र0सं0 मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि संक्षेप में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री विनीता की शादी अब से करीब 03बर्ष पूर्व निशान्त के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार घरेलू व इलैक्ट्रोनिक्स सामान व एक मोटर साईल स्पेलेन्डर आदि सहित शादी में करीब 15 लाख रूपये खच्र कर शादी की थी लेकिन शादी के बाद से ही प्रार्थी द्वारा दिये गये दान दहेज से प्रति व ससुरालीजन संतुष्ट नहीं रहते थे और दहेज में पांच लाख रूपे नकद निशान्त व्यापार करने हेतु मांगते थे प्रार्थी की पुत्री टाल मटोल करती रहती थी और प्रार्थी को प्रार्थी की पुत्री फोन द्वारा बताती रहती थी कि प्रार्थी की पत्नी का एक बर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है प्रार्थी अपनी पुत्री को बहुत प्यार करता था प्रार्थी की पुत्री को ससुराल वालो को मारपीट कर छोड़ गये थे जिसका प्रार्थी ने दिनॉक 18.11.2023 को एम्स दिल्ली में भर्ती कराकर इलाज कराया था। पुनः प्रार्थी की पुत्री विनीता के पति निशान्त, ससुर मदनलाल व सास लक्ष्मी देवर राहुल व देवरानी शिवानी ने एक राय मशवरा होकर दिनॉक 26.03.2024 को मारा पीटा जिससे प्रार्थी की पुत्री की हालत खराब हो गयी और निशान्त व उसके परिवार वालो द्वारा झोला छाप डाक्टरो से गलत दवाईयों व इंजेक्शन लगवाये जिससे प्रार्थी की पुत्री विनीता की हालत और बिगड़ गयी और हालत नहीं सुधरने पर प्रार्थी की पुत्री विनीता को बेहोशी की हालत में प्रार्थी के घर छोड़ गये उस समय मौहल्ले व परिवार के बहुत से लोग थे जिन्होंने अच्छी तरह उक्त सभी लोगो को विनीता

Digitally signed by ARCHANA SINGH
Date: 2024.08.16 16:17:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को मायके छोड़कर जाते हुये अच्छी तरह से देखा व पहचाना। प्रार्थी शाम को घर आने पर अपनी पुत्री का प्राईवेट डाक्टरो से इलाज कराया। स्टीफन अस्पताल दिल्ली व रेहान अस्पताल पाकबड़ा से डेन्टल अस्पताल पाकबड़ा में भी भर्ती कराया उसके बाबजूद भी हालत सही न होने पर अर्वन अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया, इलाज के समय ससुराल वाले कोई नहीं आये। उक्त सभी लोगो की मारपीट करने व झोला छाप डाक्टरो से गलत दवाईयों व इजेक्शन लगवाये जाने के कारण उसके शरीर में गम्भीर बीमारी बन गयी जिसे कारण इलाज के दोरान अर्वन अस्पताल नई दिल्ली में दिनॉक 18.04.2024 को 12 बजे मृत्यु हो गयी। प्रार्थी की पुत्री विनीता की उक्त लोगो ने षडयंत्र के तहत इस आशय से कि विनीता की मृत्यु हो जाये इस उद्देश्य से उसके साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचाकर मृत्यु कारित की है। प्रार्थी ने थाना रजपुरा पर घटना की सूचना दी किन्तु पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, तब एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक सम्भल को प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक सम्भल को प्रेषित प्रा0पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद की प्रति दाखिल की गयी है, जो पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थना पत्र पर थाना रजुपरा से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार थाना रजपुरा पर प्रस्तुत मामलें के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं है, जिससे कोई ऐसा साक्ष्य संकलित किया जाना हो, जो विवेचना कराये जाने के उपरान्त ही संकलित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र में कोई तकनीकी तथ्य निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि जिन तथ्यों का वर्णन आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है, उन तथ्यों के सम्बन्ध में वह स्वंय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्न विधि–व्ययवस्थायें महत्वपूर्ण है–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय विधि सुखबासी लाल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2007 (59) ए0सी0सी0 739 एवं अंजुम बनाम राज्य (2008) (61एस0सी0सी0 181) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा

हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण आदि गम्भीर मामलें में ही अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेश पारित कर सकता है। शेष मामलों में न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, मामलें को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

That also Hon'ble SC has held in case of Lalaram v. State of U.P. and other, Criminal Rivision No. 1611 og 2020 dated on 18-12-2020 (40.09). Where the complainant is in possession of the complete details of all the accused and the witnesses who have to be examined and neither recovery is needed nor any such material evidence is required to be collected which can be done only by the police, no "investigation" would normally be required and the procedure of complaint case should be adopted.

प्रश्नगत मामलें में सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त निर्णयज विधि–व्यवस्थाओं में दिये गये निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान धारा 200 द0प्र0सं0 दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। परिवादी सूची गवाहान नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

दिनांकः 16.08.2024

(अर्चना सिंह–प्रथम),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।